



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232163
CG-DL-E-27122021-232163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5004]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943

No. 5004]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5395(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3541(अ), तारीख 27 अगस्त 2021, भारत के राजपत्र सं० 3250 तारीख 31 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 11 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उज्जैन		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	मतानाकलां	153	00	11	57
		131	00	18	85
		130	00	00	20
		170	00	04	95
		101	00	04	73
		100	00	07	09
		102	00	01	72
		98	00	03	20
		92	00	13	76
		93	00	09	45
		95	00	12	33
		62	00	01	02
		424	00	13	05
		425	00	04	88
उज्जैन	जम्बूरा	111	00	23	19
		114	00	24	92
		115	00	06	63
		116	00	11	42
		101	00	08	23
		102	00	16	10
		103	00	01	87
		81	00	14	59
		104	00	03	72

		80	00	28	17
उज्जैन	खजूरिया रेहवारी	424	00	00	20
		423	00	11	89
		422	00	13	82
		420	00	01	62
		348	00	01	41
		392	00	00	83
		361	00	00	64
		355	00	08	86
		356	00	01	77
		354	00	05	17

[फा. सं.आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5395(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 3541(E) dated 27 August 2021 published in the Gazette of the India Gazette No 3250 dated 31 August 2021 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in Tehsil Ujjain District Ujjain In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 11 October 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Ujjain		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Ujjain	Matanakalan	153	00	11	57
		131	00	18	85
		130	00	00	20
		170	00	04	95

		101	00	04	73
		100	00	07	09
		102	00	01	72
		98	00	03	20
		92	00	13	76
		93	00	09	45
		95	00	12	33
		62	00	01	02
Ujjain	Pingleshwar	424	00	13	05
		425	00	04	88
Ujjain	Jambura	111	00	23	19
		114	00	24	92
		115	00	06	63
		116	00	11	42
		101	00	08	23
		102	00	16	10
		103	00	01	87
		81	00	14	59
		104	00	03	72
		80	00	28	17
Ujjain	Khajuria Rehwari	424	00	00	20
		423	00	11	89
		422	00	13	82
		420	00	01	62
		348	00	01	41
		392	00	00	83
		361	00	00	64
		355	00	08	86
		356	00	01	77
		354	00	05	17

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.